भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1053
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर देने के लिए

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर-संस्थागत देखरेख कार्यक्रम

†1053. श्री दिलेश्वर कामत :

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर-संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(ख) वर्ष 2025 में मिशन वात्सल्य योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को जोड़ने के लिए कोई पहल की है; और
(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों में ये हेल्पलाइन संचालित हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और **(ख):** गैर संस्थागत देखरेख के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमोदित बच्चों की संख्या में 40.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1,21,861 बच्चों को अनुमोदित किया गया और वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर संस्थागत देखरेख के तहत कुल 1,70,895 बच्चों को अनुमोदित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन वात्सल्य योजना से 2,47,777 बच्चों को लाभ हुआ है, जिसमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख दोनों शामिल हैं।

(ग) और **(घ)** मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, राज्यों और जिलों को किशोर न्याय (देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उल्लिखित बच्चों के लिए 24x7x365 बाल सहायता सेवा (चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस) 1098 संचालित करना अनिवार्य है। चाइल्ड हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ जोड़ दिया गया है और यह सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

*****